बीस रुपय

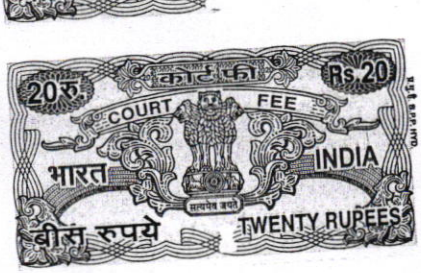

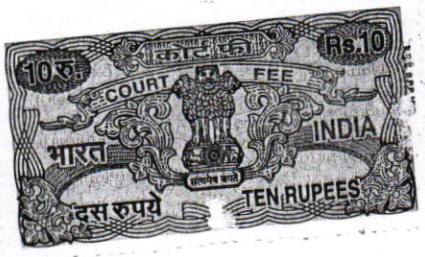

कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA 20रु. Rs.20 बीस रुपये TWENTY RUPEES

कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA 10रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2018 जिला–दतिया

III/ निगरानी/दतिया/भू.रा./2018/0520

पुष्पेन्द्र पुत्र श्री रवीन्द्र सिंह गुर्जर,
निवासी–पंचशील नगर, दतिया (म.प्र.)
-- आवेदक

विरूद्ध

1– राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री रतनलाल अग्रवाल
2– डिम्पल सचदेवा पत्नी श्री दीपक सचदेवा
3– नरेश पुत्र श्री रतन सिंह यादव
4– रोहित पुत्र श्री घनश्याम
निवासीगण– पट्टापुर, तहसील व
जिला – दतिया (म.प्र.)
5– रामबाबू पुत्र श्री राजाराम यादव
निवासी– तहसील व जिला दतिया
6– सुनीता पत्नी श्री रमेश कुमार,
निवासी– पडोलिया महादेव,
तहसील व जिता दतिया (म.प्र.)
-- अनावेदकगण

श्री ... द्वारा आज दि. 18.1.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 23.1.18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 18-1-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय/कार्यालय राजस्व निरीक्षक वृत्त दतिया तहसील दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक /क्यू/सी/रा.नि./2017–18 में पारित आदेश/ कार्यवाही दिनांक 16.01.2018 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, न्यायालय/कार्यालय राजस्व निरीक्षक वृत्त दतिया तहसील दतिया के समक्ष अनावेदक राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल द्वारा भूमि सर्वे नम्बर 577/1 का सीमांकन किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर न्यायालय/कार्यालय राजस्व निरीक्षक वृत्त दतिया तहसील दतिया द्वारा आवेदक को सूचना पत्र दिया गया कि भूमि का सीमांकन दिनांक 11.01.2018 को किया जाना है।

— 2 —

(9)

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक III / निग. / दतिया / भू.रा. / 2018 / 0520

पुष्पेन्द्र विरूद्ध राजेन्द्र

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक अदि के हस्ताक्षर
16-02-18	आवेदक की ओर से श्री के0के0 द्विवेदी अभि.उप.। उन्हें प्रकरण में ग्राहयता के बिन्दु पर सुना गया। 2– प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता द्वारा सुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों को दुहराते हुए यह कहा गया कि प्रकरण में सीमांकन से संबंधित विवाद है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.01.2018 को सीमांकन करने के निर्देश दिए गये है, जबकि इसी न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में फसल कटने के बाद सीमांकन करने के निर्देश दिए थे। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 9.1.2018 के अनुक्रम में फसल कटने के बाद सीमांकन करने हेतु निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। आवेदक अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के प्रकाश में निगरानी मेमो के संलग्न अधिलेख की छाया प्रतियों का अवलोकन किया गया तथा उनके परिशीलन एवं विचार किया गया। विचारोपरांत अधीनस्थ न्यायालय के आदेशदिनांक 09.01. 2018 को स्थिर रखते हुए द्वितीय आदेश दिनांक 15.01.18 द्वारा सीमांकन दल गठित करने तक के आदेश को भी स्थिर रखते हुए	

— 3

प्रकरण कमांक III / निग. / दतिया / भू.रा. / 2018 / 0520

— 3 —

दिनांक 18.1.2018 को सीमांकन किए जाने संबंधी बिन्दु को सीमांकन हेतु प्रस्तावित भूमि में खडी फसल के कटने तक के लिए अपास्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि वे आदेश दिनांक 15.01.2018 के द्वारा गठित सीमांकन दल से ही फसल कटने के बाद सीमांकन की कार्यवाही प्रारंभ कर समस्त हितबद्ध पक्षकारों को सूचना देकर विधिवत संहिता में निहित प्रावधानों के तहत सीमांकन की कार्यवाही संपादित करें। उक्त निर्देशें के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।

सदस्य

राजस्व मण्डल ग्वालियर